"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2017 — श्रावण 27, शक 1939

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2017

आदेश

क्रमांक एफ 15-33/15-02/2017. — छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त का पद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम-1960 की धारा 50-ख के तहत सृजित किया गया है. राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के पद की दायित्व एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा आयुक्त पद को मुख्य सचिव के समकक्ष घोषित करता है.

क्रमांक एफ 15-33/15-02/2017. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम-1960 की धारा 50-ख की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्र (सेवानिवृत्त भा. प्र. सेवा-1982) को "राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त" के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.